न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 20 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 22

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री सुखलाल कलाल पुत्र श्री गोकुल जी निवासी 176, बागीदौरा मेन रोड, नया बस स्टेण्ड रैयाना, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स– दीवम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के पास रैयाना, बांसवाडा।
2. श्री विशाल पटीयात पुत्र श्री गिरीश पटीयात निवासी केशवराय मंदिर के पास, महालक्ष्मी चौक, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स पटीयात ट्रेडर्स, 241 रोड नं. 7, रातीतलाई, बांसवाडा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री फूल चन्द (नोमिनी) मैसर्स उमा एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. **opp. Capston Meter Factory, Gopalpura mod, Tonk Road, Jaipur** हाल मुकाम सी.आर दास फार्म, गोपालपुरा मोड, टोंक रोड, महावीर नगर, जयपुर।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20–08–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **02–02–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **03–02–2023** को दौराने गश्त 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच **मैसर्स दीवम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के पास रैयाना, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री सुखलाल**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

कलाल पुत्र श्री गोकुल जी मिले **विक्रेता की उपस्थिति में दुकान** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड) 15 बोतल प्लास्टिक की प्रत्येक 500 एम.एल रखे हुए थे। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिसब्राण्ड का** शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड) की 4 बोतल प्रत्येक 500 एम.एल कुल 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **360/–** रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड) के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1293** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:38 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/120 दिनांक 22–02–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 112 दिनांक 14–02–2023 अनुसार विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1293** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है।

फर्म के मालिक **श्री सुखलाल कलाल पुत्र श्री गोकुल जी निवासी 176, बागीदौरा मेन रोड, नया बस स्टेण्ड रैयाना, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स– दीवम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के पास रैयाना, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड)** का अग्रिम माल खरीद बिल **मैसर्स पटीयात ट्रेडर्स, 241 रोड नं. 7, रातीतलाई, बांसवाडा** का प्रस्तुत किया। **मैसर्स पटीयात ट्रेडर्स, 241 रोड नं. 7, रातीतलाई, बांसवाडा** से यह पत्र व्यवहार करने पर **मैसर्स उमा एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. जयपुर** का प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05–02–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20–08–2024 को अप्रार्थी सं 1 व 2 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 3 की ओर से **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री फूल चन्द (नोमिनी) मैसर्स उमा एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. जयपुर** द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि **श्री विशाल पटीयात पुत्र श्री गिरीश पटीयात** ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नही होगी। न्यायालय द्वारा जो आदेश किया जावेगा उसकी पालना की जायेगी।

आरोपीगणो की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/120 दिनांक 22–02–2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 112 दिनांक 14–02–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड)** का नमुना

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

कोड क्रमांक **W-1293** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्ड पाया गया **कच्ची धाणी सरसो तेल (मास्टर ब्राण्ड)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री सुखलाल कलाल पुत्र श्री गोकुल जी निवासी 176, बागीदौरा मेन रोड, नया बस स्टेण्ड रैयाना, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स– दीवम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड के पास रैयाना, बांसवाडा को रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रुपया मात्र), श्री विशाल पटीयात पुत्र श्री गिरीश पटीयात निवासी केशवराय मंदिर के पास, महालक्ष्मी चौक, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स पटीयात ट्रेडर्स, 241 रोड नं. 7, रातीतलाई, बांसवाडा को रूपये 5000/– (अक्षरे पाँच हजार रुपया मात्र), श्री अशोक कुमार पुत्र श्री फूल चन्द (नोमिनी) मैसर्स उमा एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. opp. Capston Meter Factory, Gopalpura mod, Tonk Road, Jaipur** हाल मुकाम **सी.आर दास फार्म, गोपालपुरा मोड, टोंक रोड, महावीर नगर, जयपुर को रूपये 20000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 20–08–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयक अधिकारी
(अति. जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:06:38 IST
Reason: SelfAttested